स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के लिए विद्यार्थियों से जुड़े सभी कार्य निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार पूरे हों : सिंह

भोपाल(काप्र)।

स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के लिये विद्यार्थियों से जुड़े सभी कार्य निर्धारित कैलेण्डर में पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति के लिये ऑनलाइन व्यवस्था की प्रशंसा की। श्री सिंह ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षकों की अटेंडेंस को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उज्जैन और नरसिंहपुर जिले में तत्काल लागू किया जाये।

श्री सिंह गुरूवार को लोक शिक्षण संचालनालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सचिव स्कूल शिक्षा संजय गोयल, आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता, संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र हरजिंदर सिंह, पाठ्य पुस्तक निगम के एमडी विनय निगम विशेष रूप से उपस्थित थे। श्री सिंह ने विभाग में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण में संवेदनशील रूख रखने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्कूल शिक्षा से जुड़ी केन्द्रीय योजनाओं में राज्य को मिलने वाली राशि को प्राप्त करने के लिये विशेष पहल की जाये। श्री सिंह ने कहा कि विभाग में ऐसी व्यवस्था की जाये कि सेवानिवृत्त होने के बाद शिक्षकों और कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान समय पर हो जाये। जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाले पत्र पर विभाग की ओर से शीघ्र कार्यवाही पत्र भेजने की व्यवस्था की जाये। बैठक में बताया गया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 82 लाख विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण होना है। विभाग द्वारा 60 प्रतिशत पाठ्य पुस्तकों के वितरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। कक्षा 1 से 8 तक के करीब 60 लाख विद्यार्थियों को यूनिफार्म डीबीटी के माध्यम से दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है। बैठक में निशुल्क साइकिल, छात्रवृत्ति, लैपटॉप, स्कूटी वितरण की प्रक्रिया समय-सीमा में किये जाने की जानकारी दी गई। बैठक में माध्यमिक शाला से हाई स्कूल, हाई स्कूल से हायर सेकण्डरी स्कूल के उन्नयन की जानकारी दी गई। उन्नयन की कार्यवाही इस वर्ष 15 जून तक पूरी कर ली जायेगी।

सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. गोयल ने बताया कि ग्रीष्म काल में उन स्कूलों की पहचान कर ली जायेगी, जो जर्जर हो गये हैं। उनके वैकल्पिक स्थान, अतिरिक्त कक्ष निर्माण मरम्मत संबंधी कार्य प्राथमिकता के साथ किये जायेंगे। मरम्मत कार्य के लिये 149 करोड़ और अतिरिक्त कक्षा निर्माण के लिये 100 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। बैठक में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लेब की भी जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि 45 हजार 500 हायर सैकेण्डरी, 1 लाख 62 हजार प्राथमिक शिक्षकों को टेबलैट प्रदाय किये जा चुके हैं। 75 हजार माध्यमिक शिक्षकों को टेबलैट प्रदान किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। स्टार्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत 52 सीएम राइज स्कूलों में रोबोटिक्स लैब की स्थापना की जा रही है। 458 पीएमश्री विद्यालयों में अटल टिंकेरिंग लेब स्थापित की जा रही है। बैठक में फर्नीचर व्यवस्था के संबंध में भी चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के आवेदन प्रक्रिया हुई ऑनलाइन

भोपाल(काप्र)। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर आसान बना दिया गया है। कल्याणी महिला (विधवा महिला) सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के विवाह पोर्टल ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। श्री कुशवाह ने सभी जिलाधिकारियों को प्राप्त आवेदन पत्रों का 30 दिवस में अनिवार्य रूप से निराकरण के निर्देश दिए है।

प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण सशक्तिकरण श्रीमती सोनाली वायंगणकर ने बताया कि प्रदेश में निवासरत कल्याणी बहनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2018 से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित की जा रही है। योजना में कल्याणी बहनों को विवाह उपरांत 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा योजनांतर्गत आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इच्छुक हितग्राही पब्लिक डोमेन से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि विवाह पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के लिये समग्र पोर्टल पर जानकारी अपडेट होना आवश्यक है। आवेदिका एवं उसके पति का आधार ई-केवायसी समग्र पोर्टल पर होना अनिवार्य है, समग्र पोर्टल पर वैवाहिक स्थिति विवाहित होना अनिवार्य है, 8 अंको की समग्र परिवार आईडी एक ही होना अनिवार्य है। सभी जिला अधिकारी ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर 30 दिवस में अनिवार्य रूप से निराकरण करेंगे। अनावश्यक रूप से आवेदन लंबित रखने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

डीआरयूसीसी सदस्य बनते ही श्रीवास्तव ने किया भोपाल स्टेशन का निरीक्षण

भोपाल (काप्र)।

रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति सदस्य बनते ही निलेश श्रीवास्तव द्वारा भोपाल स्टेशन का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा सर्वप्रथम स्टेशन पर पहुंचकर स्टेशन मैनेजर वाणिज्यिक शाखा ए.के.खरे से भेंट कर स्टेशन पर चल रहे कार्यों की चर्चा की वही स्टेशन पर होने वाली परेशानियां तथा कठिनाइयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उसी दौरान निलेश श्रीवास्तव द्वारा पूरे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। जहां-जहां गंदगी पाई गई वहां सफाई के निर्देश दिए गए व तुरंत सफाई कराई जाए, यह भी बात की गई। इसके पश्चात नवनिर्मित पॉड होटल का भी निरीक्षण कर होटल में सुविधाओं का जायजा लिया व यात्रियों को आ रही असुविधाओ की जानकारी एकत्रित कर कई सुझाव भी दिये गए। उसके पश्चात भोपाल स्टेशन मैनेजर आर.के.मिश्रा से भेंट कर अमृत भारत योजना के तहत चल रहे कार्यों का अवलोकन किया। वहीं पर कुछ अनधिकृत विक्रेताओं पर चालानी कार्रवाई भी करवाई गई। श्रीवास्तव द्वारा स्टेशन पर नव रेलवे लॉन्च में चल रहे कार्यों का अवलोकन किया, बेहतर यात्री सुविधा समाज को कैसे प्राप्त हो विषय पर सार्थक चर्चा की। निरीक्षण के दौरान उनके साथ में महेंद्र बंसल, ऋषि पांडे, रवि शर्मा, रुपेश अग्रवाल, निखिल वर्मा, सिद्धांत यादव आदि भी उपस्थित थे।

फार्माकोलॉजी विभाग ने मनाया स्थापना दिवस

भोपाल (काप्र)। एम्स के कार्यपालक निदेशक प्रो. अजय सिंह के मार्गदर्शन में फार्माकोलॉजी विभाग द्वारा स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। इस कार्यक्रम में विभाग की उपलब्धियों को प्रस्तुत करते हुए सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से औषधियों के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में की गई पहलों पर प्रकाश डाला गया। फार्माकोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. बालाकृष्णन एस. ने विभाग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और बीते वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने फार्माकोविजिलेंस (औषधि सुरक्षा निगरानी), मटेरियोविजिलेंस (चिकित्सा उपकरण सुरक्षा निगरानी), प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट (नुस्खा जांच), आउटरीच गतिविधियों (जन जागरूकता कार्यक्रम) और राष्ट्रीय फार्मक्विज़ (ज्ञान प्रतियोगिता) जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से विभाग की सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया।

2025 में सफलतापूर्वक आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शॉपिकॉन 2025, विभाग का प्रथम न्यूज़लेटर, और 30 मौखिक व पोस्टर प्रस्तुतियाँ उल्लेखनीय रही। फार्माकोलॉजी विभाग के डॉ. अजय शुक्ला और डॉ. अहमद नाजमी को उनके इंट्राम्यूरल प्रोजेक्ट्स के लिए सम्मानित किया गया। प्रो. (डॉ.) शिल्पा कौर को 2024 में एमिटी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में मौखिक प्रस्तुति के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। डॉ. ऋषिका को उनके थीसिस हेतु पुरस्कार और डॉ. गोकुल को शोध के लिए इंट्राम्यूरल ग्रांट प्राप्त हुआ। फैकल्टी प्रो. रतींदर झाज को कनाडा में इको-फार्माकोविजिलेंस पर व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया। डॉ. शुभम अटल को हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, बॉस्टन में डिप्रेशन में प्रिसीजन मेडिसिन पर व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया। विभाग ने शैक्षिक विस्तार में भी प्रगति की है, जिसमें पीएचडी स्कॉलर और डीएम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के नामांकन में वृद्धि शामिल है।

प्रदेश में गिद्ध संरक्षण को मिल रही नई दिशा: मुख्यमंत्री

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में वन्य जीव पर्यटन में नए आयाम जुड़ रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गिद्धों का संरक्षण न केवल जैव विविधता की रक्षा के लिए आवश्यक है, अपितु पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से भी अनिवार्य है।

प्रदेश में गिद्ध संरक्षण को भी नई दिशा दी जा रही है। भोपाल स्थित केरवा गिद्ध प्रजनन केन्द्र से 6 गिद्धों को बुधवार को पहली बार प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि राज्य सरकार ने गिद्धों सहित अन्य पशु पक्षियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए सतत प्रयास किए हैं। एशिया से लुप्त हो रहे चीतों के पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका के देशों से चीते लाकर कूनो अभ्यारण में उनका संरक्षण एवं संवर्धन किया गया । मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्राकृतिक वातावरण में छोड़े गए गिद्धों पर जीपीएस ट्रैकर लगाए गए हैं,जिससे उनके आवागमन, व्यवहार एवं सुरक्षा की सतत निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

भ्रष्टाचार का प्रतीक है नेशनल हेराल्ड : पंवार

भोपाल (काप्र)। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष श्री वैभव पंवार के नेतृत्व में गुरूवार को नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेकर भोपाल में रेडक्रॉस अस्पताल के सामने प्रदर्शन कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया।

भाजपा युवा मोर्चा द्वारा इस मामले को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन कर राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री वैभव पवार ने कहा कि नेशनल हेराल्ड प्रकरण महज एक आर्थिक घोटाला नहीं, बल्कि यह नैतिक पतन, सार्वजनिक संपत्ति की लूट और वंशवाद की पराकाष्ठा का ज्वलंत उदाहरण है। यह वही कांग्रेस पार्टी है, जिसने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दान की गई संपत्तियों को एक परिवार की निजी जागीर में बदल दिया। गांधी परिवार ने संस्थाओं को जनता की सेवा के लिए नहीं, बल्कि उन्हें एक रियल एस्टेट कंपनी में परिवर्तित कर निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव

पंवार ने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के शेयर होल्डर वाली यंग इंडिया कंपनी को केवल 50 लाख के मामूली निवेश पर नेशनल हेराल्ड को संचालित करने वाली एसोसिएट जर्नल (एजेएल) जैसे बहुमूल्य कंपनी की संपत्तियों को कब्जा दिया गया। इस निर्णय से श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी परिवार को दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल और पटना जैसे प्रमुख शहरों में स्थित नेशनल हेराल्ड की अचल संपत्तियों का अधिकार प्राप्त हो गया। यह न केवल धोखाधड़ी है, बल्कि कांग्रेस पार्टी का सार्वजनिक संस्थाओं पर सीधा हमला भी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं रही, वह एक पारिवारिक उद्यम बन चुकी है। कांग्रेस का यह चेहरा गांधी विकास मॉडल जैसा है, जहां पार्टी का पैसा निजी पूंजी बन जाता है।

स्पेशल खबर *जल गंगा संवर्धन अभियान...*

जनसहभागिता की अभिनव पहल, मिलकर जल स्त्रोतों को सहेजें

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अभिकल्पना को साकार करते हुए जल गंगा संवर्धन अभियान अब जन अभियान बन गया है। अभियान की अवधारणा जनसहभागिता से जल संरक्षण और संवर्धन पर केन्द्रित है।

इस अभियान के अंतर्गत नवीन जल संग्रहण संरचनाओं के साथ पूर्व से मौजूद जल संग्रहण संरचनाओं का जीर्णोद्धार, जल स्त्रोतों और जल वितरण प्रणालियों की साफ-सफाई जल स्त्रोतों के आस-पास पौध-रोपण के कार्य प्राथमिकता से किये जा रहे है। समाज की सहभागिता के लिये जल संरक्षण जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किये जा रहे हैं। दतिया जिले के उन्नाव बालाजी धाम/तीर्थस्थान की नदी पर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, आम नागरिकों ने

स्वच्छता कार्य किया एवं जल संरक्षण की शपथ भी दिलायी गई। नदी की गंदगी को कार्यकर्ताओं ने हटाकर नदी को स्वच्छ किया और सभी को संदेश दिया कि हर व्यक्ति अपने गांवों और पंचायतों में प्राचीन जल स्त्रोतों की सफाई करें एवं लोगों को उनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिये जागरूक करें। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी अयोध्या बस्ती में जन अभियान परिषद ने कलश यात्रा निकालकर जल संरक्षण का संदेश दिया। पिपलिया मंडी के तालाब में कलश यात्रा के साथ ही श्रमदान किया गया। इस अवसर पर परिषद के संभाग समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। उमरिया जिले की सक्रिय युवाओं की टोली द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पाली नगर के ऐतिहासिक प्राचीन सगरा तालाब के हरिहर बाबा घाट में बैठकर जल संरक्षण गीत गाकर नागरिकों को जल को सहेजने के लिये जागरूक किया। उमरिया जिले के विकासखंड मानपुर के ग्राम बचहा में नवाचार करते हुए विवाह के निमंत्रण के साथ जल संरक्षण का संदेश भेजा जा रहा है। ग्राम बचहा के भूतपर्व सरपंच कमला प्रसाद जायसवाल ने अपनी बेटी सुधा जायसवाल के विवाह के निमंत्रण में जल है तो कल है, लोग प्रेम के बिना रह सकते है, मगर पानी के बिना नही का संदेश दिया। उनकी इस पहल का आमजनों ने स्वागत किया तथा जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में शहडोल जिले के जनपद पंचायत पड़मनिया खुर्द में लोगों को पानी की एक-एक बूंद सहेजने एवं जल का महत्व बताने के लिए जन चौपाल लगाई गई। जन-चौपाल में कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जल के बिना जीवन संभव नही है, जल अमूल्य है, इसे बचाने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करना होगा, जल को बचाने के लिए केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नही बल्कि हम सभी कि जिम्मेदारी है कि आने वाले पीढ़ियों के लिए पानी का संचयन करें। देवास जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से जल संरचनाओं के निर्माण एवं गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन एवं ग्रामीणों के जनसहयोग से जनपद पंचायत क-?नौद की ग्राम पंचायत कोठड़ी में बारिश के पानी को सहजने के लिए तालाब गहरीकरण कार्य किया जा रहा है। तालाब के गहरीकरण के बारिश के दिनों में पानी संग्रहित होगा तथा वॉटर लेवल भी बढ़ेगा, जिससे पेयजल के साथ खेती करने के लिए भी पानी मिल सकेगा।

वसूली अधिकारी-I का कार्यालय
ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

टीआरसी संख्या: 151/2023 दिनांक: 10.03.2025

आईएफसीआई बनाम मैसर्स राजाधिराज इंडस्ट्रीज लिमिटेड

मेरे आदेश दिनांक **10.03.2025** के अनुसार, नीचे उल्लिखित संपत्ति को सार्वजनिक ई-नीलामी बिक्री के माध्यम से **21.05.2025** को वसूली प्रमाणपत्र में निहित निर्देशों के अनुसार बेचा जाएगा।

नीलामी बिक्री "ऑनलाइन ई-नीलामी" के माध्यम से
वेबसाइट https://www.auctiontiger.net पर होगी।
नीलामी की तिथि और समय: 21.05.2025, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
(यदि आवश्यक हो तो दोपहर 12 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ)

संपत्ति का विवरण

संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	जमानत राशि
संपत्ति के लीज़होल्ड अधिकार: (i) प्लॉट संख्या A एवं 'A' (क्षेत्रफल 4.21 एकड़) सिवनी अर्बन इंडस्ट्रियल एरिया, सिवनी, मध्य प्रदेश। (ii) प्लॉट संख्या A' का भाग, B और प्लॉट संख्या 'B' का भाग (क्षेत्रफल 4.50 एकड़)। *(आर.सी. के अनुसार संपत्ति का विवरण: लीज़होल्ड अधिकार, जिसमें 8.71 एकड़ क्षेत्रफल की सभी पट्टे पर दी गई भूमि शामिल है, जो प्लॉट संख्या A, A', B और B' में स्थित है, सिवनी अर्बन इंडस्ट्रियल एस्टेट, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश)*	आरक्षित मूल्य ₹4,86,00,000/- (चार करोड़ छियासी लाख रुपये मात्र)	जमानत राशि ₹48,60,000/- (अड़तालीस लाख साठ हजार रुपये मात्र)

निबन्धन व शर्तें

1. नीलामी बिक्री "ऑनलाइन ई-नीलामी" के माध्यम से वेबसाइट पोर्टल होगी: **https://www.auctiontiger.net**
2. ईएमडी का भुगतान **डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर** के माध्यम से **"वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली ए / सी टीआरसी नंबर 151/2023" के पक्ष में या नेफ्ट / आरटीजीएस** के माध्यम से निम्नलिखित खाते में किया जाएगा - **एचडीएफसी बैंक, सूर्या किरण बिल्डिंग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, आरटीजीएस विवरण: आईएफएससी कोड: HDFC0000003, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ए / सी नंबर 00030350002631।** उक्त डिमांड ड्रफ्ट / पे ऑर्डर या नेफ्ट / आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान का मूल प्रमाण, स्व-सत्यापित पहचान पत्र (वोटर आई-डी/ ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट) प्रति के साथ, जो पैन कार्ड के साथ संलग्न हो, भविष्य में संचार और स्व-सत्यापित प्रति के लिए **वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली को 19.05.2025 को शाम 5:00 बजे से पहले पहुंचना होगा।** इसके बाद प्राप्त ईएमडी या ईएमडी का मूल प्रमाण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. नेफ्ट / आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी या मूल भुगतान प्रमाण को लिफाफे में बंद करके प्रेषक का विवरण, यानी पता, ई-मेल आईडी और मोबाइल नम्बर आदि के साथ, **टी.आर.सी. संख्या 151/2023** लिखकर भेजा जाना चाहिए।
4. संपत्ति **"जैसी है, जहां है और जो कुछ भी है"** के आधार पर बेची जा रही है।
5. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियां जमा करने और ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया से भाग लेने से पहले वेबसाइट पोर्टल **https://www.auctiontiger.net** पर ई-नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों देख लें और / या संपर्क करें: **श्री देशराज सिंह, प्रबंधक, मोबाइल नंबर 9990725675, कार्यालय नंबर 011-41732217, ई-मेल: deshraj.singh@ifciltd.com**
6. संभावित बोलीदाताओं को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और उपरोक्त ई-नीलामी में बोली लगाने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड-ऑक्शन टाइगर, 8-704 वॉल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, नजदीक गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात (भारत), संपर्क नंबर 9722778828, 07968136889/6891, ई-मेल **praveen.thevar@auctiontiger.net** या **soni@autiontiger.net,** संपर्क व्यक्ति: श्री प्रवीण थेवर से प्राप्त करना होगा, जो अनिवार्य है।
7. इच्छुक बोलीदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड - ऑक्शन टाइगर, 8-704, वॉल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, नजदीक गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात (भारत), संपर्क नंबर 9722778828-07968136889/6891, ईमेल-**praveen.thevar@auctiontiger.net** या **soni@autiontiger.net** से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क व्यक्ति: श्री प्रवीण थेवर।
8. संभावित खरीदार **07.05.2025** और **08.05.2025** को **सुबह 10.30 बजे** से **शाम 04.00 बजे** तक साइट का निरीक्षण कर सकता है।
9. केवल वैध आईडी और पासवर्ड रखने वाले और डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के माध्यम से ईएमडी के भुगतान की पुष्टि करने वाले बोलीदाता ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
10. इच्छुक बोलीदाता, जिन्होंने **19.05.2025** को शाम 4.00 बजे तक वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में आरक्षित मूल्य से कम नहीं, अपनी बोलियां जमा कर दी हैं, वे **21.05.2025** को **सुबह 11.00 बजे** से अपराह्न **12.00 बजे** तक आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।
11. बोलीदाताओं को परिसंपत्ति के संबंध में रु.1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) के गुणकों में अपनी बोली में सुधार करना होगा।
12. असफल बोली लगाने वाले को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही बंद होने पर तुरंत **वसूली अधिकारी-I, के कार्यालय, डीआरटी-II, दिल्ली / सीएचएफआई अर्थात आईएफसीआई** से ही ईएमडी लेनी होगी।
13. सफल / उच्चतम बोली लगाने वाले को ईएमडी समायोजित करने के बाद, वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली, के पक्ष में, खाता **टी आर सी 151/2023** में, बोली / बिक्री राशि की 25% राशि ईएमडी को समायोजित करने के बाद वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में भेजें / जमा करें ताकि नीलामी बंद होने के 24 घंटे के भीतर पहुंच जाए, अन्यथा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
14. सफल / उच्चतम बोली लगाने वाले क्रेता को अन्तिम बोली राशि की 75% राशि सम्पत्ति की बिक्री की तारीख से 15 वें दिन या उससे पूर्व वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली, के पक्ष में खाते **टी आर सी 151/2023** में डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करानी होगी। यदि 15 वें दिन रविवार या अन्य अवकाश हो तो 15 वें दिन के बाद अगले प्रथम बैंक कार्य दिवस को जमा करानी होगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त क्रेता को 1000/- रुपए तक 2% तथा 1000/- रुपए से अधिक पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क रजिस्ट्रार, डीआरटी-II, दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी। (शेष राशि 75% जमा करने के मामले में डाक के माध्यम से उपरोक्तानुसार वसूली अधिकारी तक पहुंचनी चाहिए)। निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, बिक्री की नई उद्घोषणा जारी होने के बाद, संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। यदि अधोहस्ताक्षरी उचित समझे तो बिक्री के खर्च चुकाने के बाद जमा राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी और दोषी क्रेता संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से के सभी दावों को जब्त कर लेगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है।
15. सफल / उच्चतम बोली लगाने वाला इस फोरम के समक्ष जमा की जाने वाली प्रस्तावित नीलामी राशि पर लागू टीडीएस का भुगतान करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 194-आईए के प्रावधानों का पालन करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसी स्थिति में, सफल / उच्चतम बोली लगाने वाले को शेष बिक्री आय का भुगतान करते समय इस फोरम के समक्ष उक्त राशि जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
16. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, बिक्री की नई उद्घोषणा जारी होने के बाद, संपत्तियों को फिर से बेचा जाएगा। बिक्री के खर्चों का भुगतान करने के बाद जमा राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी उचित समझे, सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी और चूक करने वाले क्रेता का संपत्तियों या राशि के किसी भी हिस्से के सभी दावों को समाप्त माना जाएगा व इसे बाद में बेचा जा सकता है।
17. सीएचएफआई / सीएच बैंक को दस्ती, स्पीड पोस्ट, कूरियर के माध्यम से सीडी पर बिक्री उद्घोषणा और संपत्ति के विशिष्ट हिस्से पर चिपकाकर और उसके आसपास ड्रम बजाकर घोषणा करने का निर्देश दिया गया है और इसकी एक प्रति न्यायाधिकरण के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी।
18. विक्रय उद्घोषणा अंग्रेजी के साथ-साथ स्थानीय भाषा, जिसका क्षेत्र में पर्याप्त व्यापक प्रचलन है वाले समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी।
19. सीएचएफआई / सीएच बैंक को समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन की पुष्टि करने और प्रकाशन के मूल साक्ष्य सुनवाई की अगली तारीख से पहले दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
20. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या सभी बोलियों, यदि अनुपयुक्त पाई जाएं, को अस्वीकार करने का अधिकार आरक्षित है, तथा इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

संपत्ति का विवरण

संपत्ति का विवरण	संपत्ति या उसके किसी भाग पर आकलित राजस्व	संपत्ति के किसी भी भार का विवरण जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी है	संपत्ति पर किए गए दावों का विवरण, यदि कोई हों, और इसके स्वभाव और मूल्य से संबंधित अन्य ज्ञात विवरण
पट्टे के अधिकार वाली संपत्तियाँ (i) प्लॉट नंबर A और 'A' जिनका क्षेत्रफल 4.21 एकड़ है, स्थित सिवनी अर्बन इंडस्ट्रियल एरिया, सिवनी, मध्य प्रदेश। (ii) प्लॉट नंबरों A', B का हिस्सा और प्लॉट नंबर B' का भाग, जिनका क्षेत्रफल 4.50 एकड़ है। *(आरसी के अनुसार संपत्ति का विवरण: संपत्ति का पट्टे अधिकार के अंतर्गत आती है, 8.71 एकड़ या इसके आसपास का क्षेत्र शामिल है, जो प्लॉट नंबरA, A', B और B' से औद्योगिक संपदा, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश में स्थित है।)*	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

मामलें को **28.04.2025** को सूचीबद्ध किया जाए, ई-नीलामी बिक्री नोटिस की सेवा के हलफनामे को दायर करने के लिए, जिसमें सेवा के प्रमाण (स्पीड पोस्ट और कूरियर के ट्रैक परिणाम सहित) और दस्तावेज, समाचार पत्रों में प्रकाशन के मूल प्रमाण और व्यापक प्रचार, जिसमें वेबसाइट पर ई-नीलामी के उद्देश्य से सार्वजनिकता शामिल हो।

(उत्तम नेगी)
वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली